

VIDHAN SABHA MATTER

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F.No.11(71)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.207/2019/11111-12 Date- 23/08/2019

To,

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi-110054.

**Sub:- Reply of Legislative Assembly (Un-Starred) Question No. 207
raised by Sh. Sanjeev Jha Hon'ble MLA for dated 26.08.2019.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.11(B-1)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2323 dated-16.08.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Encl: As above


Yours faithfully,


23/08/19
Dy. Secretary (PWD/VS)

F.No.11(71)/PWD-II/V.S.Q/Un.St.Q.No.207/2019/11111-12 Date- 23/08/2019

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD)


23/08/19
Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

अतारांकित प्रश्न संख्या: 207


दिनांक: 26.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री संजीव झा

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क.स.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है की बुराडी मोड से लेकर अमृत विहार तक मेन 100 फुटा रोड के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित था।	यह सत्य हैं कि बुराडी मोड से लेकर अमृत विहार तक मेन 100 फुटा रोड के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।
ख	यदि हाँ तो इस योजना पर कब से कार्य आरंभ होना था ;	इस कार्य का प्रारंभिक प्राकलन रु० 10.15 करोड़ का बनाकर लोक निर्माण विभाग के सचिव कार्यालय में माह जुलाई 2019 में प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रारंभिक प्राकलन की स्वीकृति व अनुमोदन होने के उपरांत कार्य 1.5 माह में आरंभ होना संभावित हैं।
ग	क्या इस कार्य के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है ;	उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं।
घ	यदि हाँ, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और	उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं।
ड.	उसका ब्यौरा क्या है ?	उपरोक्त 'ख' अनुसार लागू नहीं।

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।


(ए.एल. मदान) 22.8.19

उप सचिव, (लो०नि०वि०)

उप सचिव/Deputy Secretary
लोक निर्माण विभाग/Public Works Department
दिल्ली सचिवालय, दिल्ली/Delhi Secretariat, Delhi